2023/281

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... **सहायक कलक्टर** .... मुकाम– .... **डीडवाना** ....

प्रार्थी :– मोहनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी सानियां, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– मदनसिंह पुत्र स्व0 भोजसिंह जाति राजपूत निवासी सानियां, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...**97**... सन्–.....**2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
17.07.2023	प्रार्थी मोहनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी सानियां, तहसील–डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण मदनसिंह पुत्र स्व0 भोजसिंह जाति राजपूत निवासी सानियां तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी श्री मो0 अली शेरानी को सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी पेशी तक सरहद सानियां, पटवार हल्का–सानियां के खसरा नम्बर 1022 रकबा 0.7100 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 717 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा सं0 718 रकबा 3.3300 हैक्टे0, खसरा सं0 512 रकबा 1.4200 हैक्टे0, खसरा सं0 245 रकबा 5.0800 हैक्टे0, 258 रकबा 0.0200 हैक्टे0 भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से तक बेचान नहीं करें एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। नोट :– 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251 पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी एवं सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनांक 03.08.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **सहायक कलक्टर** **डीडवाना (नागौर)**	

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	22.5.26 वकील प्रार्थी के मिसल तलबी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रकरण को जरिये विड्रोल व Not press खारिज करवाने का निवेदन किया है। न्याय हित में निवेदन स्वीकार किया जाता है। पत्रावली जरिये विड्रोल/Not press खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरं से कम हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	Not press Adv. N.A. P. 22.5.2026